

विचार बिन्दु

सत्याग्रह बल प्रयोग के विपरीत होता है। हिंसा के संपूर्ण त्याग में ही सत्याग्रह की कल्पना की गई है। –महात्मा गांधी

महाअभियोग के संवैधानिक प्रावधानों का प्रयोग न्यायाधीश स्वामीनाथन के विरूद्ध न केवल अलोकतांत्रिक है, अपितु न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कटु प्रहार है

देश के 56 सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा लिखा गया पत्र, जिसमें संसद के उन सदस्यों को विद्डो करने का आग्रह किया है, जिसके द्वारा उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के विरूद्ध महाअभियोग की कार्यवाही करने की मांग की है। संसद के अध्यक्ष को प्रेषित किया है उसकी प्रक्रिया की कटु आलोचना की है। उनका कथन है कि यह कार्य संविधान के प्रावधानों की गरिमा उद्देशिका में वर्णित मूल भवना तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कटु प्रहार है।

अपने पत्र में 50 पूर्व न्यायाधीशों ने स्पष्ट शब्दों में अपने विचार दिये हैं कि कुछ सांसदों और एडवोकेटस न्यायालय (न्यायाधीशों) को दबाव में लाना चाहते हैं, वह भी केवल इसलिये कि वे लोग जस्टिस महोदय की राजनीतिक अथवा Ideological विचार धारा से सहमत नहीं हैं। यह सोच न्यायाधीश स्वतंत्रता के विरूद्ध है व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विपरीत है।

यह घटना क्रम उस समय हुआ, जब जस्टिस स्वामीनाथन ने एक पिटीशनर को पिटीशन पर जो अपने को Right Wing Activist मानता है, जस्टिस स्वामीनाथन ने, सुनवाई के बाद यह निर्देशन राज्य सरकार को दिया कि पवित्र दीपक पहाड़ी शिखर पर प्रज्वलित किया जा सके इसकी व्यवस्था हो ताकि कोई व्यवधान न हो। राज्य के अधिकारियों का कथन था कि दीप मंडप के सामने दीपक जलाने की प्रथा बहुत पुरानी है। मस्जिद और दीप दोनों पहाड़ी की चोटी पर हैं बीच में रिक्त स्थान है। ऐसा भी है कि कोर्ट के निर्णय है जहां दीप मंडप पर दीपक प्रज्वलित करने की प्रथा का जिक्र है। लेखक का इस प्रसंग के कानूनी गुणदोष पर कोई प्रतिक्रिया अभिव्यक्त नहीं कर रहा है। प्रश्न इतना है कि जब जस्टिस स्वामीनाथन के आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं है तो फिर क्या मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के विरूद्ध इस आदेश को महाअभियोग की कार्यवाही के द्वारा बिना निरस्त किये जस्टिस महाअभियोग की सजा में नौकरी से निकाला जा सकता? 56 पूर्व न्यायाधीशों ने अपने पत्र में इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुये कहा है कि मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश को इस प्रकार नौकरी ने निकालने की कार्यवाही करना सर्वथा अवैध, अन्धकृत और विवेकहीन है। नि:सन्देह इस प्रकार की कार्यवाही को न्याय संगत नहीं माना जा सकता यह अप्रत्यक्ष रूप से न्यायाधीशों को Brow Beat करना ही कहा जावेगा। लोकतंत्र में न्यायाधीश को निर्भीक व स्वतंत्र विचार धारा का होकर संविधान व लोकतंत्र की मर्यादाओं के अनुसार एक सबल रक्षक के रूप में काम करना होता है। पूर्व न्यायाधीशों ने स्पष्ट शब्दों में विचार रखते हुये कहा है महाअभियोग

के प्रतिवेदन में कोई भी संगत आधार प्रतिक्षित नहीं होते, क्योंकि महाअभियोग की कार्यवाही असाधारण परिस्थितियों में ही होना चाहिये। लोकतंत्र में न्यायालयों को स्वतंत्र, किसी बाहरी शक्ति के दबाव से दूर ही रहना चाहिये। इस प्रकार की कार्यवाही रूला ऑफ लॉ के लिये गम्भीर खतरा है। महाअभियोग की कार्यवाही असाधारण है यह कार्यवाही तो न्यापालिका की गरिमा को बनाये रखने के हेतु ही की जाना अपेक्षित है। संविधान ने अपनी उद्देशिका में स्पष्ट घोषणा की है, भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण

कुछ समय से देश में देश के न्यायाधीशों पर कोर्ट की कार्यवाही सुनवाई करते समय वकीलों से प्रश्न पूछे जाने और जजों की टिप्पणी को इस प्रकार उद्धृत किया जाता है, जिससे यह कयास लगाया जाता है कि वे जजों को दबाव में लाना चाहते हैं। कुछ दिनों पूर्व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्त ने रोहिंन्या के प्रकरण पर टिप्पणी की थी।

प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने के लिये दृढ़ संकल्प होकर संविधान को अंगीकृत, अधिनियमों और आत्मार्पित करते हैं।

पूर्व न्यायाधीशों में सुप्रीम कोर्ट के कई पूर्व न्यायाधीश व हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश भी हैं। ये सब ही यशस्वी न्यायाधीश रहे हैं, अतः इन सबसे जब मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस स्वामीनाथन के पक्ष में उपरोक्त संदर्भ में कोई बात कही है तो उसका महत्व हमें समझाना होगा, यह विषय महाअभियोग लाने का तो नहीं हो सकता है।

कुछ समय से देश में देश के न्यायाधीशों पर कोर्ट की कार्यवाही सुनवाई करते समय वकीलों से प्रश्न पूछे जाने और जजों की टिप्पणी को इस प्रकार उद्धृत किया जाता है, जिससे यह कयास लगाया जाता है कि वे जजों को दबाव में लाना चाहते हैं। कुछ दिनों पूर्व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्त ने रोहिंन्या के प्रकरण पर टिप्पणी की थी। उसके साथ जस्टिस जॉय माल्या बागची भी थे। मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कुछ गणमान्य लोगों को पत्र लिखकर इस पर आपत्ति की थी, इस पर प्रतिक्रिया देते हुये माननीय न्यायाधीश ने एक अन्य केस में सुनवाई के समय कहा था कि वे टफ आदमी हैं कोई ऐसा नहीं समझे कि न्यायपालिका ऐसी क्रियाओं पर दबाव में आ जायेगी। जस्टिस बागची ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि "जजों द्वारा सवाल पूछने से रोकने का यह एक संगठित प्रयास है। वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश ने रोहिंन्या घुसपैठियों का रैड कारनेट (लाल कालीन) निष्ठाकर स्वागत करें"।

कई बार टिप्पणी के द्वारा न्यायाधीशगण समस्या को समझने का प्रयत्न करते हैं, इन्हें किसी भी प्रकार कोर्ट का निर्णय नहीं माना जाना चाहिये, किन्तु ऐसी टिप्पणी को जज ही पूर्व निर्धारित मानसिकता के साथ नहीं जोड़ा जा सकता।

इन सब परिस्थितियों से ऐसा प्रतीत होता है कि लोकतंत्र में अदालतों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का अलोकतांत्रिक प्रयास किया जा रहा है। इसे सावधानी से रोकना और गम्भीरता से विरोध करना अतिआवश्यक है।

इसी क्रम में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्त ने कहा सोशल मिडिया को नियंत्रित करने के समाचार के विषय में कहा कि ऐसे कठोर प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है, किन्तु सोशल मिडिया पर यह टिप्पणी की कि सोशल मिडिया जब संदर्भ हटाकर ट्वीलिंग की जाने प्रवृति को अपनाता है, उसकी अन्वेदनी भी नहीं की जा सकती।

लोकतंत्र की मजबूती इस पर निर्भर है वहां पर न्यायिक स्वतंत्रता पर कोई भी समझौता नहीं है जैन धर्म के धर्मावलंबियों की एक प्रार्थना है, "रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूँ, या कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग मेरा कभी न पथ डिगने पाये"।

इसका अर्थ है नयायाधीश निष्पक्ष हो विषय का ज्ञाता हो, केस की, जिसका उसे निर्णय करना है, उसके तथ्यों की पकड़ हो, जिसकी IntegrityMebkeâe से परे हो। युधिष्ठिर ने महाभारत में कहा था:-

'धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्माद्धर्मो न हन्त्वियो मा नो धर्मो हतोऽवधीतु' "Dharma protects those who protect it. Those who destroy Dharma gets destroyed as a consequence thereof."

क्या जस्टिस स्वामीनाथन ने ऐसा कोई कृत्य किया है जो उपरोक्त मापदण्डों के विपरीत हो। फिर क्या उनके विरूद्ध महाअभियोग की असाधरण कार्यवाही की जावे?

सत्यमेव जयते!

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन,
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

राशिफल

शुक्रवार 19 दिसम्बर, 2025

पौष मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 10:51 तक, शुल योग दिन 3:47 तक, चतुष्पद करण सायं 6:06 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 10:51 से धनु राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-धनु, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-वृश्चिक, बुध-वृश्चिक, गुरु-मिथुन, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज देव पितृकाय अमावस्या, वकुला अमावस्या है।
श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:32 तक, लाभ-अमृत 8:32 से 11:06 तक, शुभ 12:24 से 1:41 तक, चर 4:16 से सूर्यास्त तक।
राहुकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:14, सूर्यास्त 5:33 तक



वीर बहादुर सिंह

विज्ञान और तकनीकी विकास के स्तर को देखते हुए अब प्रतीत हो रहा है कि स्नातक कृषि शिक्षा में भी कुछ नवीन आयाम खुलने चाहिए अथवा शिक्षा प्रदान करने की कक्षा कक्ष की प्रणाली में कुछ परिवर्तन घटित हों। ऐसा इसलिए कि विषय वस्तु भार अपेक्षा से कहीं अधिक बढ़ चुका है। ऐसे में यदि अपरिमित संसाधन और विषय सामग्री का समावेश पाठ्यक्रम में होता रहे तो छात्र के लिए उसे आत्मसात करने के लिए समय कम पड़ सकता है, और अध्यापक के लिए कालांश की संख्या में बढ़ोतरी भी जरूरी हो जाती है। हमें याद है आरम्भ में स्नातक केवल दो वर्ष का पाठ्यक्रम ही था, बहुती विषय सामग्री ने सेमेस्टर पद्धति में चार सेमेस्टर, फिर छः और अब आठ सेमेस्टर तक पहुंचा दिया है। इसलिए छात्र और अध्यापक दोनों को राहत स्वरूप कुछ परिवर्तन जरूरी है। पाठक इस लेख के लेखक को कोसें नहीं, लेख में वर्णित व्यवस्था लेखक को राजस्थान में वर्षों कार्य के दौरान प्राप्त वृहत अनुभवों पर बलवती होती धारणा पर आधारित है। कृषि उच्च शिक्षा की एक परिवर्तित प्रणाली, जिसमें

महाविद्यालय बनाने और अध्यापकों को नियुक्ति से निजात मिलेगी। लेखक ने इस प्रणाली को बिना अन्य से विमर्च और सम्बाद किये स्वयं ही रूप देने का प्रयास किया है।

इस प्रणाली को उत्पन्न करने और मूर्तरूप देने में प्रदेश सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों पर सदैव आर्थिक दृष्टि से आंख बहाने का दृश्य मुख्य कारक रहा। कृषि शिक्षा को राजस्थान सरकार फिजूल का उपक्रम मानती रही है और इसीलिये कृषि उच्च शिक्षा के उन्नयन के लिए प्रदेश सरकार सदैव उदासीन, गैरजम्मेदार और कभी कभी विरोधी भी रही है। मेरी समझ से इसका मुख्य कारण योजना नियोजकों को कृषि के असंख्य पहलुओं पर उनकी सभी स्तरों पर अनिभिज्ञता और नासमझी ही है। प्रदेश के बहुत से अधिकारिओं को अभी तक ज्ञात होगा कि उच्च माध्यमिक शिक्षा में कृषि विषय भी एक विशेष शाखा के तौर पर पढ़ाया जाता था। जहाँ छात्र विज्ञान, शिक्षा कहीं अधिक धन परस्त और खर्चीली हो चुकी है। और जब सम्पूर्ण शिक्षा का भार सरकारों को वहन करना पड़े तो अधिकारिओं के पसोंने छूटने लाजमी है। ज्ञान में अपार वृद्धि से शिक्षा के इतने अधिक आयाम हो चुके हैं कि उनको गिना मुश्किल है।

कृषि शिक्षा में भी अभूतपूर्व विकास विषय सामग्री के हिसाब से हुआ वहीं अनुसन्धान और एक्सटेंशन शिक्षा के नेशनल लेवल पर कई संस्थाएं स्थापित हो गयीं जिनमें भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् नई देहली प्रमुख है। इस लेख को लिखते समय दिनांक 14 दिसंबर को राजस्थान के मुख्य सचिव की अखबारी खबर कि रिक्त पदों के भरने की प्रक्रिया को गति देकर नियुक्तियों की जायें। प्रश्न

का यह कि माध्यमिक स्तर की कृषि शिक्षा मेडिकल और अभियांत्रिक के पात्र बायोलॉजी एवं विज्ञान व गणित की भांति ही समानरूप से महत्वपूर्ण थी।

इतना कुछ भूमिका वर्णन करने के पश्चात् अब मुख्य विषय पर लौटना हूँ। हमें ज्ञात है कि पौराणिक काल में शिक्षा गुरु-शिष्य आधार पर ही दी जाती थी। उस काल में महाविद्यालय अथवा कक्षा कक्ष की कोई आवश्यकता न थी। शिष्य और गुरु बरगद अथवा अन्य किसी ऐसे ही छायादार वृक्ष के नीचे जमीन पर बैठ कर ज्ञान और संस्कारों का आदान-प्रदान करते थे। अधिक समय नहीं गुजरा स्वामी विवेकानंद जी ने भी कुछ इसी भाँति शिक्षा पाई थी। वर्तमान की शिक्षा के संसाधनों को देखते हुए कल्पना की नहीं की जा सकती कि कालान्तर में पढ़ाई पेड़ या घासफूस की झोंपड़ पट्टी में होती थी। यह सही है कि विज्ञान और संसाधनों में उन्नति होने से शिक्षण संस्थाओं का रूप भी बदला है। फलस्वरूप आज की शिक्षा कहीं अधिक धन परस्त और खर्चीली हो चुकी है। और जब सम्पूर्ण शिक्षा का भार सरकारों को वहन करना पड़े तो अधिकारिओं के पसोंने छूटने लाजमी है। ज्ञान में अपार वृद्धि से शिक्षा के इतने अधिक आयाम हो चुके हैं कि उनको गिना मुश्किल है।

कृषि शिक्षा में भी अभूतपूर्व विकास विषय सामग्री के हिसाब से हुआ वहीं अनुसन्धान और एक्सटेंशन शिक्षा के नेशनल लेवल पर कई संस्थाएं स्थापित हो गयीं जिनमें भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् नई देहली प्रमुख है। इस लेख को लिखते समय दिनांक 14 दिसंबर को राजस्थान के मुख्य सचिव की अखबारी खबर कि रिक्त पदों के भरने की प्रक्रिया को गति देकर नियुक्तियों की जायें। प्रश्न

ये है जब सरकार ने नियुक्ति प्रणाली को शुरू ही नहीं क्या तो फिर गति किसको और फिर उनका निर्देश किसको है जबकि वे खुद ही सर्वसर्वा हैं। नियुक्ति का अधिकार भी सरकार के ही पास है। जनता को मूर्ख बनाने और एक सफूंगा छोड़ने के अलावा ऐसा निर्देश कोई मायने नहीं रखता। पाठक इस बात पर चिंतन करें कि कक्षाओं में पढ़ाई कैसे हो रही है जब उचित अध्यापक ही नहीं हैं और पढ़ाई की निगरानी के लिए महाविद्यालय का प्रिंसिपल अथवा अधिष्ठाता भी महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले किसी भी विषय का नहीं हैं। है न, पहेली, क्योंकि बिना उचित विषय विशेषज्ञ के कौन पढ़ा रहा है और क्या पढ़ा रहा है? परीक्षा भी हो रही है और छात्र उत्तीर्ण भी हो रहे हैं, है न आश्चर्य?

इसका कारण, कृषि अनुसन्धान परिषद् ने सभी विषयों के पाठ्यक्रम के अनुसार नोट्स नेट पर उपलब्ध करा रखे हैं। छात्र उन्हें ही अपने स्मार्ट फ़ोन में पढ़ते हैं इसलिए उन्हें सैद्धांतिक पढ़ने के लिए कक्षा और टीचर की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार ध्योरी क्लासेज की गुल्थी तो सुलझती प्रतीत लग रही है फिर भी इन नोट्स में वर्णित विषय सामग्री को और अधिक ग्राह्य तथा विकसित किया जा सकता है। अब दूसरी यह कि प्रैक्टिकल कक्षाओं का क्या होता है? कृषि में ऐसे विषय भी हैं जिनमें प्रैक्टिकल खेतों, फार्म, नदियों, तालाबों, बनों, बाधों, और फसलें उगे हुए किसानों के खेतों पर कराये जा सकते हैं। अभी तो करोड़ों रुपये के महंगे प्रयोगशाला उपकरण वर्षों से भूल चाट रहे हैं और संभवतः अनेक जो ख़ाबर बेकार भी हो चुके हों? खोजबन करने पर मालूम हुआ कि प्रैक्टिकल तो विषय का टीचर नहीं

होते हुए कराये ही नहीं जा रहे हैं। प्रयोगशाला सहायक ही नहीं है, कराये का टीचर हो लैब में जाकर कतिपय उपकरण दिखा कुछ बता देता है अधिक बताने के लिए उसके पास भी नॉलेज नहीं, उसे तो कालांश किसी प्रकार पूरा करना है। वह हो जाता है आखिर में उसका पारश्रमिक बना कर अदा कर दिया जाता है। लेखक चौंकि इस विषय पर अधिक गंभीर था तो अनेक व्यक्तियों से पूछ कर वांछित जानकारी जुटाना संभव हो सका। प्रदेश सरकार को कृषि अनुसन्धान परिषद् को वाले किसी भी चाहिए कि छात्रों को प्रत्येक विषय के विस्तृत विवरण नेट पर उपलब्ध अतः कक्षा में पढ़ाने के लिए किसी टीचर की नियुक्ति की जरूरत नहीं। भारी वेतन पर होने वाले खर्च से निजात मिलेगी।

अब केवल प्रैक्टिकल करने या कराने की बात शेष रहती है। मेरे पास विकल्प है लेकिन उसके लिए विचार-विमर्श सरकार के स्तर पर भी जरूरी है। सरकार के प्रशासन वर्ग को मैं सबसे अधिक शिक्षित, बुद्धिमान और विवेकशील मानता हूँ इसलिए इस विषय पर आगे मंथन वहां से भी अपेक्षित है। यदि यह प्रणाली कारगर हो गई तो प्रदेश सरकार के लिए तो वरदान साबित होगी और छात्र का समय बचेगा। रिक्त पदों और उन्हें भरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आर्थिक दृष्टि से घन की अपार बचत होगी। सरकार की आर्थिक शक्ति भी सुदृढ़ हो जाएगी। जय कृषि जय किसान जय भारत।

–प्रो.वीर बहादुर सिंह, पूर्व कुलपति एवं अधिष्ठाता खेरी व डेरा, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी वि. विद्यालय, उदयपुर

राजस्थान उच्च शिक्षा बजट प्रस्ताव 2026-27



अशोक कुमार

राजस्थान के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए उच्च शिक्षा में निवेश अनिवार्य है। बजट प्रस्तावों को केवल व्यय के रूप में नहीं, बल्कि मानव पूंजी में निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में पर्याप्त बजट आवंटन राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली को एक मजबूत, समावेशी और विश्व स्तरीय प्रणाली में बदल सकता है।

राजस्थान की उच्च शिक्षा को संवराने में राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों का अमूल्य योगदान रहा है। विकसित राजस्थान के संकल्प को सिद्ध करने हेतु प्रदेश के ये उच्च शिक्षण संस्थान आधारस्तंभ हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालयों में पेंशन भुगतान को लेकर अक्सर असमंजस और देरी की स्थिति बनी रहती है। अतः आगामी बजट में विश्वविद्यालयों के लिए एक स्थायी पेंशन कॉर्पस फंड का प्रावधान किया जाए ताकि कर्मचारियों को नियमित भुगतान सुनिश्चित हो सके। यदि विश्वविद्यालयों में सामाजिक सुरक्षा, पेंशन का अभाव रहा, तो प्रदेश के मेधावी युवा अध्यापन के बजाय

लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाने हेतु पर्याप्त बजट आवंटित किया जाए। शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र: सभी विश्वविद्यालयों में एक समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण एवं उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए फंडा। ये केंद्र एनहपी 2020 के अनुसार मल्टीडिसिप्लिनरी शिक्षा, डिजिटल शिक्षण विधियों और शोध नैतिकता पर अनिवार्य प्रशिक्षण देंगे। शोध प्रस्ताहन: शिक्षकों को राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ़रेंस में भाग लेने और उच्च गुणवत्ता के पीयर-रिव्यूड जर्नल्स में प्रकाशन के लिए प्रोत्साहन राशि

2. पाठ्यक्रम और मूल्यांकन सुधार:

कौशल-आधारित शिक्षा: कौशल विकास और इंटरशिप को मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए बजट। इसके लिए न्यायिक उद्योगों और एमएसएमइएस के साथ साझेदारी विकसित करने हेतु फंड।

अद्यतन प्रयोगशालाएँ: विज्ञान, इंजीनियरिंग, और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए आधुनिक उपकरणों से युक्त प्रयोगशालाओं को अपग्रेड करने हेतु एक आधुनिकीकरण कोष।

1. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर: डिजिटल पहुँच का विस्तार: सभी सरकारी कॉलेजों को हाई-स्पीड इंटरनेट और वाई-फाई से लैस करने के लिए डिजिटल पहुँच मिशन।

ई-संसाधन सब्सक्रिप्शन: सभी छात्रों और संकाय के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों (जैसे- स्कोपस) की सदस्यता लेने हेतु केंद्रीय फंडिंग।

स्मार्ट क्लासरूम: 75 प्रतिशत से अधिक कक्षाओं को स्मार्ट क्लासरूम (प्रोजेक्टर, इंटरैक्टिव बोर्ड) में बदलने के लिए विशेष परियोजना।

2. भौतिक बुनियादी ढाँचा: कॉलेज भवन और छात्रावास: दूरदराज के क्षेत्रों और छात्राओं के लिए नए छात्रावासों के निर्माण और पुराने भवनों के जीर्णोद्धार के लिए बड़ा बजट। विश्वविद्यालय शोध उपकरण: उच्च-स्तरीय शोध उपकरण जैसे स्पेक्ट्रोमीटर, उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग क्लस्टर आदि खरीदने के लिए एक शोध उपकरण खरीद निधि।

तीसरा- पहुँच, समानता और समावेशन : राजस्थान के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने के लिए वंचित समूहों तक पहुँच सुनिश्चित करना आवश्यक है। 1. छात्राओं के लिए विशेष

योजनाएँ:

“उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना” : ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए नकद प्रोत्साहन या ट्यूशनियन फीस में पूर्ण छूट।

सुरक्षित परिवहन: छात्राओं को कॉलेज तक पहुँचाने के लिए सुरक्षित और सब्सिडीयुक्त परिवहन सुविधाएँ प्रदान करने हेतु बजट।

2. वंचित समूहों के लिए समर्थन: विशेष कॉमिंग: एससी/एसटी/ओबीसी छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे- एनईट, यूपीएससी, लायपीएससी) की तैयारी हेतु मुफ्त कोचिंग सेंटर स्थापित करने और चलाने के लिए फंड।

डिव्यांगन सहायता: एनहपी 2020 के अनुसार, दिव्यांग छात्रों के लिए बाधा-मुक्त परिसर, विशेष शिक्षण सामग्री और सहायक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए अलग कोष।

चौथा- अनुसंधान और नवाचार विश्वविद्यालयों को ज्ञान सृजन के केंद्र में बदलना।

पाँचवा- शासन और जवाबदेही संस्थागत प्रभावशीलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

डेटा प्रबंधन प्रणाली: समय पर और सटीक डेटा संग्रह के लिए सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में एक मजबूत प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू करने हेतु बजट। यह एआईएसएलच रिपोर्ट में देरी जैसी समस्याओं से बचने में मदद करेगा।

संस्थागत स्वायत्तता प्रोत्साहन: अच्छा प्रदर्शन करने वाले और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता देने के लिए प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन

वित्तीय लेखापरीक्षा: आवंटित बजट के प्रभावी और पारदर्शी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नियमित वित्तीय और शैक्षणिक लेखापरीक्षा के लिए व्यवस्था। विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में किया गया निवेश राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास और युवाओं के लिए रोजगार सृजन की कुंजी है।

विज्ञान और एआइ तकनीक के लिए बजट प्रस्ताव

इन प्रस्तावों को तीन प्रमुख स्तंभों में विभाजित किया जा सकता है: बुनियादी ढाँचा, मानव पूंजी , और अनुसंधान एवं नवाचार।

प्रथम- बुनियादी ढाँचा और डिजिटल क्षमता निर्माण

1. उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधाएँ:

एआइ सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर: राज्य के शीर्ष तकनीकी विश्वविद्यालयों (जैसे- आइआईटी, एनआईटी, या प्रमुख राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज) में एक या दो उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने के लिए फंड।

मांग: जीपीयू सर्वर, शीतलन प्रणाली, और इनके संचालन एवं रखरखाव के लिए एक समर्पित वार्षिक बजट।

2. अटल टिकरिंग लैब और एसीटीएम लैब का विस्तार:

उच्च शिक्षा में अटल लैब: स्कूली शिक्षा में सफलतापूर्वक लागू एटीएल मॉडल को उच्च शिक्षण संस्थानों (विशेषकर पॉलिटेक्निक और छोटे इंजीनियरिंग कॉलेजों) में एडवांस्ड एसीटीएम लैब के रूप में विस्तारित करने हेतु बजट।

मोबाइल विज्ञान वैन: ग्रामीण क्षेत्रों के कॉलेजों में विज्ञान और तकनीक के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सुसज्जित मोबाइल विज्ञान और एआइ लैब वैन की खरीद और संचालन के लिए फंड।

द्वितीय- मानव पूंजी और कौशल विकास और विज्ञान के लिए कुशल कार्य बल तैयार करना

1. एआइ उत्कृष्टता केंद्र:

राज्य एआइ केंद्र: कम से कम चार क्षेत्रीय एआइ उत्कृष्टता केंद्र (जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर) स्थापित करने के लिए पर्याप्त आवंटन, जैसा कि केंद्र सरकार के इश्टया एआइ मिशन में भी प्रस्तावित है (जिसके लिए 10,372 करोड़ से अधिक आवंटित किए गए हैं)।

फोकस क्षेत्र: इन केंद्रों को राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप विशिष्ट क्षेत्रों (जैसे एग्री-एआइ, हेल्थ-एआइ, गवर्नेंस-एआइ) पर केंद्रित होना चाहिए।

2. संकाय अपस्कीलिंग और भर्ती:

एआइ संकाय फैलोशिप: इंजीनियरिंग और विज्ञान कॉलेजों के शिक्षकों को एआइ/एमएलए नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए एआइ संकाय फैलोशिप कार्यक्रम शुरू करने हेतु बजट।

विषय-विशेषज्ञों की भर्ती: एआइ, डेटा साइंस, और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में उद्योग विशेषज्ञों को अल्पाकालिक या विजिटिंग फैकल्टी के रूप में नियुक्त करने के लिए आकर्षक वेतन पैकेज

का प्रावधान।

3. कौशल आधारित पाठ्यक्रम: डिजिटल साक्षरता और एआइ प्रमाणन: सभी स्नातक पाठ्यक्रमों (कला, वाणिज्य, विज्ञान) में बुनियादी डिजिटल साक्षरता और एआइ के नैतिक उपयोग पर एक अनिवार्य प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए पाठ्यक्रम विकास और प्रशिक्षण लागत हेतु बजट।

तीसरा- अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र

ज्ञान सृजन और प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण को बढ़ावा देना।

1. अनुसंधान अनुदान :

एआइ मुख्यमंत्री और विज्ञान शोध ग्रांट: राज्य के शोधकर्ताओं को उच्च प्रभाव वाले और सामाजिक रूप से प्रासंगिक शोध के लिए बड़ा अनुदान प्रदान करने हेतु एक बड़ा और समर्पित राज्य शोध निधि का निर्माण।

धीम-आधारित अनुदान: विशेष रूप से राजस्थान की समस्याओं (जैसे जल प्रदूषण, नवीकरणीय ऊर्जा, मरुस्थलीकरण) को हल करने वाले शोध के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन।

2. नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहन:

डीप-टेक इन्क्यूबेशन केंद्र: विज्ञान और एआइ में काम कर रहे स्टार्टअप के लिए डीप-टेक इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें पहले वर्ष में 5 लाख तक का ग्रूफ-ऑफ-कॉस्टेअ अनुदान देने के लिए बजट।

पेटेंट और बौद्धिक संपदा सहायता: विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं और स्टार्टअप द्वारा फाइल किए गए पेटेंट की लागत (आवेदन शुल्क, कानूनी शुल्क) को कवर करने हेतु शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता।

3. सार्वजनिक-निजी भागीदारी:

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व भागीदारी: कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कंपनियों को अपने सीएसआर फंड का एक हिस्सा विज्ञान और एआइ में शोध एवं विकास पर खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नीतिगत और बजटीय प्रोत्साहन देना। इन प्रस्तावों का उद्देश्य राजस्थान को केवल प्रौद्योगिकी का उपयोगकर्ता नहीं, बल्कि एआइ और विज्ञान के क्षेत्र में एक अग्रणी निमाता बनाना होना चाहिए।

–अशोक कुमार, पूर्व कुलपति कानपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय, विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर



पंडित अनिल शर्मा

वृश्चिक, मंगल-वृश्चिक, बुध-वृश्चिक, गुरु-मिथुन, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज देव पितृकाय अमावस्या, वकुला अमावस्या है।
श